

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1600

दिनांक 13/5/19

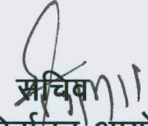
आदेश

सां. आ. 111/2019 - आयोग के आदेश क्रमांक 3060/28.10.1999 (सां. आ. 25/99) के द्वारा नगरपालिकाओं के समस्त निर्वाचनों हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के परिकल्प (डिजाइन) को ईवीएम से मत डाले जाने और रिकार्ड किए जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया हुआ है।

उक्त सांविधिक आदेश को अधिक्रमित करते हुए राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31-क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, (ECIL) द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के परिकल्प (डिजाइन) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मत डालने एवं रिकार्ड किए जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित करता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,


सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1609-12
प्रतिलिपि :-

दिनांक 13/5/19

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने एवं ई-मेल करने हेतु।
4. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।


उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर